राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 879/2012/राजसमन्द.

ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़, राजसमन्द। .....अपीलार्थी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजसमन्द। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर के अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.09.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2011 जो कि अपील संख्या 39/वैट/2009–10 के संबंध में है तथा जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–राजसमन्द (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा)द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना को अस्वीकार करने संबंधी पारित आदेश दिनांक 23.07.2009 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2006–07 का मूल निर्धारण आदेश (एकपक्षीय) प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 02.03.2009 को पारित कर, तदनुसार मांग राशि कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित निर्धारण आदेश दिनांक 02.03.2009 को परिशोधित करने हेतु निवेदन किया गया जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 23.07.2009 के अस्वीकार कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। पुनः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.01.2011 को

लगातार.....2

परिशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, आदेश दिनांक12.10.2011 पारित किया गया । उक्त पारित अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 02.03.2009 के जो मांग राशि कायम की गयी है वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी राजस्थान खादी एवं ग्रमोधोग बोर्ड, जयपुर में पंजीकृत है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में किया गया विकय कर मुक्त है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 23.07.2009 को निरस्त कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवम् उक्त के संबंध में प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को भी अस्वीकार कर दिया गया । अग्रिम अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही अधिनियम की धारा 24(3) के तहत् आदेश पारित करने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, जो निरसत किये जाने योग्य है। यही नहीं इस संबंध में अधिनियम की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी समुचित अवसर दिये बिना, बिना तथ्यों की जांच किये अस्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गयी है। कथन किया कि इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी । अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी राजस्थान खादी एवं ग्रमोद्योग बोर्ड, जयपुर के तहत् पंजीकृत व्यवहारी है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत् उसे कर मुक्ति प्रदान है। इस संबंध में

लगातार.....3

पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 17 पर मौजूद है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर एकतरफा निर्धारण आदेश दिनांक 02.03.2009 को पारित कर, तद्नुसार मांग राशि कायम की गयी जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2009 को मय चारों त्रैमासों के बिक्री विवरण पत्र मय वैट–07 प्ररूप प्रस्तुत कर आगत कर का मुजरे संबंधी समायोजन एवम् उक्त अवधि में किये गये विक्रय संव्यवहारों को कर मुक्त होना घोषित कर, कायम की गयी कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जरिये नोटिस दिनांक 06.02.2009 के द्वारा चाहा गया खादी ग्रनोद्योग बोर्ड का अनुशंसा पत्र तथा अधिसूचना दिनांक 05.07.2006 के तहत् वांछित कर मुक्ति प्रमाण पत्र/Entitlement Certificate भी प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं होना अवधारित कर, प्रार्थना पत्र को जरिये आदेश दिनांक 23.07.2009 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिसके संबंध में पुनः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.01.2011 को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि चूंकि मूल विवादित बिन्दु यह था कि क्या अपीलार्थी व्यवहारी को मूल निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस तामिल हुआ कि नहीं ? उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित करने संबंधी जारी सूचना प्रपत्र जो तामिलशुदा था, विशिष्ट (Specific) था, जिसकी पालना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नहीं की गयी एवम् जारी नोटिसानुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा एकतरफा निर्धारण आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को भी निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से अस्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है । इस संबंध में अपीलार्थी

लगातार.....5

विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षो में निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त बिक्री मानकर निर्धारण आदेश पारित किये गये है। अतः आलोच्य अवधि में बिना किसी आधार के प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य बिक्री रू. 35,29,32 मानकर कर 12.5 प्रतिशत की दर से रू.1,41,176, अनुवर्ती ब्याज रू. 2,360 आरोपित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संया 1134 व 1133/2010/बाड़मेर निर्णय दिनांक 16.12.2013 (2014) 9 आरजीएसटीआर 65 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से कर मुक्ति लाभ प्राप्त इकाई नहीं है। ऐसी इकाई को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2006 के अनुसार केवल बिक्री पर विहित शर्तें पूरी करने पर अधिसूचित ईकाईयों को ही कर देयता की छूट प्राप्त है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2006 के अनुसरण में आलोच्य अवधि में किया गया करारोपण विधिनुसार है। जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व प्रकरण में यह निर्णय किया जाना महत्वपूर्ण है कि क्या अपीलार्थी को मूल निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत् नोटिस जारी किया गया है कि नहीं ? इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 30.12.2006 को आलोच्य अवधि से संबंधित केवल एक ही विवरण प्रपत्र वैट–07 प्रथम त्रैमास के संबंध में प्रस्तुत किया गया है । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण हेतु विशिष्ट नोटिस दिनांक 06.02.2009 को जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 24.02.2009 कि दिन अनुपस्थिति की दशा में एकतरफा निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा । उक्त तामिलशुदा नोटिस रिकॉर्ड

लगातार.....4

व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण, संचेतन मस्तिष्क से प्रकरण के गुणावगुण का विस्तृत विश्लेषण कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसका पुनर्विलोकन कर, परिशोधन करना अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं था। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालिया न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में छपा है, में यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है । अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है । जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र का प्रश्न है, उक्त निर्धारण वर्ष 2005–06 से संबंधित है जबकि हस्तगत प्रकरण निर्धारण वर्ष 2006–07 से संबंधित है । अतः उक्त प्रमाण पत्र का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक विद्वान अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व विवादित बिन्दु से भिन्न होने के कारण लागू किये जाने योग्य नहीं है ।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

(मदन लाल)
सदस्य